न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर।

पीठासीन अधिकारी, श्री बी.एल.मेहरड़ा, आर0ए0एस0
अपील संख्याः–273/2016(2016/00273)223/दूदू

1. श्रीमती मनफुली देवी पत्नी श्री छाजू लाल शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी बगरूखुर्द तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

अपीलांटस

बनाम

1. विजय कुमार पुत्र श्री द्वारका प्रसाद जाति माहेश्वरी निवासी 66 पटेल नगर कालवाड रोड, झोटवाडा जिला जयपुर।
2. श्रीमती ममता महेश्वरी पत्नी विजय कुमार जाति माहेश्वरी निवासी 66 पटेल नगर कालवाड रोड, झोटवाडा जिला जयपुर।
3. तहसीलदार तहसील दूदू जिला जयपुर राज0।

रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0काश्तकारी अधिनियम 1955 के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.05.2016, वाद संख्या 14/2015 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, दूदू।

उपस्थितः–

1. श्री बी.एल. शर्मा एड़वोकेट अपीलांट की ओर से।
2. श्री लोकेन्द्र सिंह एड़वोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 02 की ओर से।
3. श्री एन.एस.पारीक एडवोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 01,02 की ओर से ।
4. श्री धर्मवीर चौधरी (राजकीय अभिभाषक) रेस्पोडेन्ट संख्या 03 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः– 25.2.2019

01. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, दूदू के निर्णय व डिक्री दिनांक 11.05.2016, वाद संख्या 14/2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

02. प्रकरण में संक्षिप्त एवम् सारगर्भित तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद पत्र बाबत धोषणात्मक दुरूस्ती इन्द्राज तकासमा एंव स्थायी निषेधाज्ञा का न्यायालय के समक्ष इस आशय का पेश किया कि वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 1 की अविभाजित आराजीयात खसरा संख्या 39, 40, 43, 51, 52, 53, 54 कुल किता 7 कुल रकबा 2.62 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम धांधोली तहसील दूदू जिला जयपुर मे स्थित है। जिसमे वादीगण का हिस्सा 2/3 तथा प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 1/3 है। मनफूली देवी ने उक्त आराजीयात को जरिये विक्रय पत्र के क्रय की थी तथा क्रय करने के पश्चात 1/3 हिस्से का नामान्तकरण संख्या 434 दिनांक 20–05–2014 को राजस्व रिकार्ड मे भी दर्ज करवा लिया था। राजस्व कर्मचारियों की गलती से राजस्व रिकार्ड मे प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 1/3 के स्थान पर 2/3 हिस्सा दर्ज हो गया है, जो त्रुटिपूर्ण दर्ज हो गया है। उक्त त्रुटिपूर्ण हिस्से का बेचान करने की धमकिया दे रहे है। जिस पर वाद घोषणात्मक दुरूस्ती इन्द्राज एंव तकासमा एंव स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया एवं जिस पर दिनांक 20–04–2015 को प्रतिवादी संख्या की ओर वकालतनामा एवं दिनांक 06–10–2015 को जवाब दावा प्रस्तुत किया जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 जवाबदावे के अनुरूप एवं संलग्न नजरी नक्शे के अनुरूप वादीगण ने सहमति देते हुवे घोषणा व दुरूस्ती इन्द्राज के अनुतोष को विडो किया एंव प्रतिवादी संख्या 1 कि प्रार्थना 'कि खसरा संख्या 42 पर गै.मु. चाह तक आवगमन सुविधा बरकरार रखने पर अधिवक्ता वादी ने सहमति प्रकट कि उपरोक्ता

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

नुसार मुताबिक राजस्व रिकार्ड वादीगण एंव प्रतिवादी के कब्जे अनुसार वादीगण का वाद प्राथमिक डिक्री दिनांक 06–10–2015 को किया गया एंव प्राथमिक निर्णय एंव डिक्री वादी एंव प्रतिवादी के कब्जे अनुरूप एवं संलग्न जवाब दावा नजरी अनुरूप मौके पर काबिज अनुसार तकासमा किया गया जिसकी पालना मे नक्शे कुरेजात बनाये जाकर दिनांक 15–03–2016 पत्रावली मे शामिल मिसल किये गये एवं बिना प्रतिवादी को नक्शे कुरेजात का अवलोकन करवाये बिना उज्रात सुने राजस्व कैम्प धांधोली मे पक्षकारान व अधिवक्ता की अनुपस्थित मे उक्त अवैधानिक नक्शे कुरेजात के अनुरूप वाद अन्तिम डिक्री कर दी। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू के निर्णय व डिक्री दिनांक 11.05.2016 से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

03. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्टस को जरिये नोटिस जारी किये गये। तत्पश्चात अभिभाषक उभयपक्षो की अपील मे बहस सुनी गयी।

04. अभिभाषक अपीलांट ने अपील मीमो के कथनो को दौराते हुए बहस कथन किया कि वादीगण द्वारा अपने वाद के पैरा संख्या 5 में वर्णित किया था कि उपरोक्त आराजीयात पर वादीगण 2/3 हिस्से पर पश्चिम दिशा में काबिज काश्त है एवं प्रतिवादी संख्या 1 अपने 1/3 हिस्से पर पूर्वी दिशा में काबिज काश्त रहकर उपयोग–उपभोग करते आ रहे थें एवं जवाब में प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा मौके पर प्रतिवादी संख्या 01 सलंग्न नजरी नक्शा अनुसार काबिज काश्त होना दर्शाते हुए पूर्वी तरफ प्रतिवादी संख्या 01 काबिज काना स्वीकार करते हुए वादीगण को पश्चिमी और काबिज होना स्वीकार किया था एवं खसरा नम्बर 42 गैरमुमकिन चाह पर आवगमन रास्ता बरकरार चाहा था। जिस पर वादीगण और प्रतिवादी संख्या 01 जवाब के अनुरूप एवं सलंग्न नजरी नक्शें के अनुरूप प्रतिवादी संख्या 01 का कब्जा पूर्वी ओर स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री दिनांक 06.10.2015 पारित कर दी तथा तहसीलदार, दूदू को तकासमा किये जाने के आदेश प्रदान कर दिये किन्तु तहसीलदार, दूदू द्वारा निर्णय एवं डिक्री विरूद्ध अन्यत्र जगह पर सहमति के हस्ताक्षर करवा कर कुरेजात तैयार कर प्रस्तुत कर दिये, जो अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा निर्णय दिनांक 06.10.2015 के विरूद्ध हैं इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 11.05.2016 निरस्त योग्य है। पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेजात वादी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था जिसमें वादीगण की भूमि पूर्व और पश्चिम दोनो तरफ काबिज काश्त रहा हों एवं ना ही ऐसा अनुतोष वाद में चाहा गया था। वादीगण ने पटवारी हल्का से साठ–गांठ कर एक तरफा में गलत रूप से नक्शें कुरेजात तैयार करवा लिये हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक11.05.2016 प्रतिवादी/अपीलांटस की अनुपस्थिति में पारित की है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं हो सकी हैं। जानकरी प्रथम बार प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 06.07.2016 को प्राप्त हो पर अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रही है। न्यायालय हांजा से अनुरोध है प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावें एवं अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 11.05.2016 को निरस्त फरमाया जावें।

05. अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 06.10.2018 को प्रतिवादी संख्या 01 के तर्को के अनुरूप वाद में घोषणा व दुरूस्ती इन्द्राज के अनुतोष को विद्रो किया एवं अप्रार्थी की प्रार्थना की खसरा नम्बर 42 गैर मुमकिन चाह तक आवागम की सुविधा बरकरार रखने पर अधिवक्ता वादी ने सहमति प्रकट की उसी अनुसार शेष वादी अनुतोष बाबत् तकासमा पर बहस सुनी जाकर मुताबिक राजस्व रिकार्ड वादी व प्रतिवादी के कब्जे अनुसार प्राथमिक डिक्री पारित की हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी/अपीलांट के जवाब दावे के अनुसार ही निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित की हैं प्राथमिक डिक्री में प्रतिवादी संख्या 01 की सहमति थी उसी अनुरूप अंतिम डिक्री जारी की हैं जो विधि सम्मत है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर

06. अपील सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते हैं। अभिभाषक उभयपक्षकरान द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन न्यायहित में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

07. तत्पश्चात अभिभाषक उभयपक्षो की बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू की पत्रावली में दिनांक 06.10.2018 की आदेशिका में यह अंकित किया गया है कि " पत्रावली पेश। अधिवक्ता वादी/प्रतिवादी उपस्थित। जवाब प्रतिवादी संख्या 01 प्राप्त होकर बहस सुनी गई, दौराने बहस अधिवक्ता वादी ने प्रतिवादी संख्या 01 के तर्को के अनुरूप वाद में घोषणा व दुरूस्ती के अनुतोष को विड्रो किया एवं अप्रार्थी की प्रार्थना की खसरा नम्बर 42 पर गैर मुमकिन चाह पर अधिवक्ता वादी ने सहमति प्रकट की, उपरोक्तानुसार शेष वादी अनुतोष बाबत् तकासमा पर बहस सुनी जाकर, मुताबिक राजस्व रेकार्ड वादी व प्रतिवादी को कब्जे अनुसार वादी वाद प्राथमिक डिक्री किया जाता हैं, तहसीलदार, मौजमाबाद, उपरोक्तानुसार नक्शें कुरेजात तैयार कर प्रस्तुत करावें"। अधीनस्थ न्यायालय के रिकार्ड के अनुसार आराजीयात पर वादीगण 2/3 हिस्से पर पश्चिमी दिशा में काबिज व प्रतिवादी संख्या 1 अपने 1/3 हिस्से पर पूर्वी दिशा में काबिज काश्त थे एवं प्रतिवादी संख्या 01 ने अपने जवाब में मौके पर पूर्वी दिशा पर काबिज होना माना था एवं खसरा नम्बर 42 गै0मु0चाह पर आवागमन रास्ता बरकरार रखना चाहा था। अधीनस्थ न्यायालय ने, उपरोक्तनुसार ही प्राथमिक डिक्री पारित की थी तथा तकासमा किये जाने के आदेश दिये थे परन्तु तहसीलदार द्वारा प्राथमिक डिक्री के विपरीत बिना प्रतिवादी संख्या 01 की सहमति लिये बिना नक्शें कुरेजात पर सहमति के हस्ताक्षर कराये बिना प्रस्ताव तैयार किये हैं जो विधि सम्मत नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंतिम डिक्री जो पारित की है वो प्राथमिक डिक्री के अनुसार नहीं की गई हैं इसलिए विधि सम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अंतिम डिक्री निरस्त योग्य पायी जाती हैं तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझत है कि वे तहसीलदार, मौजमाबाद से प्राथमिक डिक्री अनुसार ही कुरेजात तैयार करवा कर पुनः अंतिम डिक्री पारित करें।

08. अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू के निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 11.05.2016 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे तहसीलदार, मौजमाबाद से प्राथमिक डिक्री अनुसार ही कुरेजात तैयार करवा कर पुनः अंतिम डिक्री पारित करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

25/2/19

(बी.एल.मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकरी,
अजमेर

09 आदेश आज दिनाक 25/2/19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

25/2/19

(बी.एल.मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकरी,
अजमेर